बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End Computerization के प्रथम एवं द्वितीय चरण में राज्य में FPS Automation योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में Point of Sale (PoS) यंत्र का प्रणाली समाकलक (System Integrator) के माध्यम से अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण एवं पी.एम.यू. के गठन की स्वीकृति।**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पहचान किये गये पात्र लाभुकों को भारत सरकार के पत्रांक 14(7)/2014–Comp. दिनांक 28.05.2015 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End Computerization के द्वितीय चरण में राज्य में FPS Automation योजना अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों में Point of Sale (PoS) यंत्र की स्थापना एवं उसके माध्यम से लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है।

2. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015 (छायाप्रति संलग्न) के नियम 7 के उपनियम (6) (ख) के आलोक राज्य सरकार द्वारा Rental model आधारित व्यवस्था के आधार पर पॉईंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख–रखाव करने हेतु प्रणाली समाकलक (System Integrator) का चयन निविदा के माध्यम से किया जायेगा ।

FPS Automation के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा Rental Model पर खाद्यान्न वितरण हेतु Point of Sale यंत्रों का क्रय, संस्थापन एवं रख–रखाव के लिए प्रणाली समाकलक (System Integrator) के चयन के लिए Project Consultancy हेतु बेल्ट्रॉन द्वारा सूचीबद्ध Consultancy firms में से एक की सेवा प्राप्त किया जायेगा एवं उक्त परामर्शदात्री (Consultancy firm) द्वारा विभाग में स्थापित PMU के साथ मिलकर योजना का पर्यवेक्षण, कार्यान्वयन तथा तकनीकी कार्य यथा Application Installation (Integration with central server, application development & customization etc. and related works) NIC के सहयोग से किया जायेगा।

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका –9 में निर्धारित मानदंडों के अधीन राज्य में लगभग 55,312 जन वितरण प्रणाली दुकानों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्व वर्त्तमान में लगभग 41725 दुकानें कार्यरत है, शेष रिक्त दुकानों को अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतः इस प्रकार लगभग 55,312 दुकानों हेतु PoS यंत्र की आवश्यकता होगी । चयनित प्रणाली समाकलक के द्वारा Rental Model पर राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में खाद्यान्न वितरण हेतु Point of Sale (PoS) का अधिष्ठापन, रख–रखाव तथा संचालन किया जायेगा एवं समय--समय पर उक्त अधिष्ठापित (PoS) यंत्रों का Technological updation (तकनीकी उन्नयन) किया जाएगा एवं जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण हेतु प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। सामान्यतः यह योजना अगले पाँच वर्ष तक लागू रहेगी। इस अवधि के पश्चात् प्रणाली समाकलक (System Integrator) द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों में अधिष्ठापित Point of Sale (PoS) यंत्र को चालू अवस्था में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को हस्तगत करा दिया जायेगा।

3. **<u>FPS Automation के सफल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य उच्च स्तरीय समिति का गठन</u>**

FPS Automation के सफल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति होगी, जिसमें सम्बन्धित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे।

4. **<u>Aadhaar Enabled Point of Sale (PoS) यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण एवं वितरण के विरूद्ध किया जाने वाला भुगतान</u>**

जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा प्रणाली समाकलक के माध्यम से अधिष्ठापित एवं संचालित Point of Sale (PoS) यंत्र के द्वारा पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत Point of Sale (PoS) यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराने हेतु एवं उक्त यंत्र के द्वारा वितरित खाद्यान्न के विरूद्ध किये जाने वाले भुगतान हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका मंत्री स्तर से निर्गत किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम–2015 के नियम 7 के उपनियम (8) में यह वर्णित है कि "राज्य सरकार को दुकानों की अवस्थिति एवं दुकानों से संबद्ध राशन कार्डों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के भीतर, अंतरीय मार्जिन को अनुज्ञात करने की नम्यता होगी :

परन्तु केन्द्रीय सहायता नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों या संपूर्ण राज्य के लिए वास्तविक औसत दर, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से व्यय उपगत किया गया था जो भी निम्नतर हो, तक सीमित होगी"।

राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम–2015 के नियम – 7 के उप–नियम–6(ख) एवं (7) के अनुसार Rental Model पर पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख–रखाव करने के लिए चयनित प्रणाली समाकलक को उक्त नियम–7 के उप नियम–1 के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को पॉईंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए निर्धारित अतिरिक्त मार्जिन प्रति क्वींटल 17 रू0 में से भुगतान किया जाएगा जिसमे से केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि क्रमशः 50:50 प्रतिशत होगी ।

भारत सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों हेतु कुल– 4.57 लाख मे0 टन अर्थात् 45,78,217.25 क्वीं0 खाद्यान्न का मासिक आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे पात्र लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु 17/– रू0 प्रति क्वींटल की दर से 7,78,29,693/– रू0 मासिक अर्थात् 9339.56 लाख (तेरानवे करोड़ उनचालीस लाख छप्पन हजार) रूपये वार्षिक व्यय की संभावना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि क्रमशः 50–50 प्रतिशत होगी।

5. **<u>PMU (Project Management Unit) का गठन एवं उसकी संरचना</u>**

भारत सरकार के पत्रांक–23(6)/2008-Comp. (Vol-VI) दिनांक–17.09.2013 के द्वारा उपलब्ध कराये गये Implementation Guidelines for States & UTs में वर्णित प्रावधान के आलोक में PMU का पूर्णरूपेण गठन किया जाएगा, जिसमें एक Consultant/Project Manager, एक Junior Consultant, दो Office Assistant/Data Entry Operator के वेतन एवं अन्य मद में वार्षिक 45.60 लाख (पैंतालीस लाख साठ हजार) रूपये व्यय की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End Computerization के प्रथम एवं द्वितीय चरण के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित की स्वीकृति प्राप्त की गई ।

(i) लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End Computerization के द्वितीय चरण में राज्य में FPS Automation योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में

Point of Sale (PoS) यंत्र का अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराने की स्वीकृति।

(ii) खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम–2015 के नियम–7 के उप–नियम–6(ख) के आलोक में Rental Model पर पॉइंट ऑफ सेल यंत्रों का क्रय, संस्थापन और रख–रखाव करने के लिए प्रणाली समाकलक का चयन करने की स्वीकृति।

(iii) खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम–2015 के नियम – 7 के उप–नियम–(7) "चुने गये प्रतिमान पर निर्भर करते हुए राज्य सरकार विभिन्न पणधारियों के मध्य पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए अतिरिक्त मार्जिन का प्रभाजन करने के लिए, आधार अवधारित करेगी" के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वितरित खाद्यान्नों के अन्तर राज्यीय संचालन, उठाई–धराई और उचित दर दूकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन हेतु भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम–2015 के नियम – 7 के उप–नियम–(1) में वर्णित प्रावधानित दर के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति क्वींटल 17 रू0 अतिरिक्त मार्जिन मनी भुगतान करने के बदले राज्य सरकार द्वारा Rental Model पर पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख–रखाब हेतु चयनित प्रणाली समाकलक को अतिरिक्त मार्जिन मनी के अन्तर्गत भुगतान करने की स्वीकृति ।

iv. उपर्युक्त वर्णित कार्यो के क्रियान्वयन हेतु विभागीय पी.एम.यू. का गठन एवं इस हेतु 45.60 लाख (पैंतालीस लाख साठ हजार) रूपये वार्षिक व्यय पर पदों की स्वीकृति।

7. FPS Automation के तहत चयनित प्रणाली समाकलक को Rental basis पर Point of sale device के माध्यम से वितरित खाद्यान्न के बदले किये जाने वाले भुगतान एवं पी.एम.यू. के गठन के पश्चात इस पर होने वाले व्यय का भुगतान केन्द्रांश मद में मुख्य शीर्ष–2408–खाद्य, भंडारण तथा भांडागार, उपमुख्य शीर्ष–01–खाद्य, लघु शीर्ष–101–प्रापण तथा पूर्ति, समूह शीर्ष–केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष– 0405–एन0एफ0एस0ए0 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से किया जा सकेगा एवं राज्यांश मद में इस पर होने वाला राज्यांश मद का व्यय मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102– सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0105–लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0–18–3456001020105 मांग संख्या–18 विषय शीर्ष 0105.13.01 कार्यालय व्यय/विषय शीर्ष 0105.28.01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऐं/ विषय शीर्ष 0105.52.02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य से एवं केन्द्रांश मद का व्यय मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102– सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0407–लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0–18–3456001020407 मांग संख्या–18 विषय शीर्ष 0407.13.01/0407.21.01/0407.28.02 में बजटीय उपबंध के अनुसार किया जा सकेगा।

8. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 19.12.2017 को मद संख्या–21 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या– प्र07–ज0वि0प्र0–11/2014/175 टि0।

9. संकल्प पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

4/9/1/2018

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

4/9/1/2018

सरकार के सचिव

D:\Year 2014\SECTION-06\Dom cabinet_Sankap_02.doc

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11/2014 360 खाद्य–पटना/दिनांक–23.01.2018
प्रतिलिपि – ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word मे सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

19/1/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11/2014 360 खाद्य–पटना/दिनांक– 23.01.2018
प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11/2014 360 खाद्य–पटना/दिनांक– 23.01.2018
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

19/1/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11/2014 360 खाद्य–पटना/दिनांक– 23.01.2018
प्रतिलिपि – बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11/2014 360 खाद्य–पटना/दिनांक– 23.01.2018
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11/2014 360 खाद्य–पटना/दिनांक– 23.01.2018
प्रतिलिपि – अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/2018
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–ज0वि0प्र0–11/2014 360 खाद्य–पटना/दिनांक– 23.01.2018
प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

19/1/2018
सरकार के सचिव ।

D:\Year-2014\SECTION-06\Don calener Sankap_02.doc